

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/ हिन्दी( छात्र)/2015-16/पार्ट-1/1042 दिनांक: 24.12.19 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों जो कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 के तहत आरक्षित सूची में से नॉन -ज्वाइन्स/ अपात्र के विरुद्ध पिक-अप किये गये, को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची के ( 02) अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(12)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ-12(06) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ-15 (1) / एफडी / रूत्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.17 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियम पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क-2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी । क्र.सं. 01 अंकित अभ्यर्थी कालूराम जाट, द्वारा धारित अधिस्नातक उपाधि राज्य से बाहर का विश्वविद्यालय होने के कारण अभ्यर्थी के दस्तावेजों का विभाग द्वारा सत्यापन पश्चात जारी अनुमति के पश्चात ही संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाये । क्र.सं. 02 अंकित अभ्यर्थी चित्रा सिकलीगर के निःशक्तजन प्रमाण पत्र की चिकित्सा विभाग द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात विभाग द्वारा जारी अनुमति उपरांत ही संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाये ।


| क्र. सं. | मेरिट न. | चयन वर्ग | विषय  | नाम              | जन्म तिथि  | स्थायी पता                                    | पदस्थापन स्थान (राजमावि)                                    | जिला   |
|----------|----------|----------|-------|------------------|------------|---|---|--------|
| 1        | R-28     | BC,DC    | गणित  | KALU RAM JAT     | 12/04/1989 | ग्राम पो. जयरामपुरा, वाया जाहोता, आमेर, जयपुर | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAITU BARMER (08170200108)    | BARMER |
| 2        | R-584    | BC,WE,BL | भूगोल | CHITRA SIKALIGAR | 08/07/1977 | नया बाजार वार्ड न. 12 त. चौमु, जयपुर          | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMLA (218677) (08120715501) | JAIPUR |

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

- 01 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 02 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 03 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 04 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

- 05 जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
- 06 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।
- 07 संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि शाला दर्पण साईट पर नव चयनित व्याख्याता कार्यग्रहण रिपोर्ट अपलोड न होने पर आफलाइन कार्यग्रहण की कार्यवाही संपादित करवाते हुए कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय की मेल आई so.csection@gmail.com पर प्रेषित करें तथा शिघ्रातिशिघ्र शालादर्पण की साईट पर नवचयनित व्याख्याता के कार्यग्रहण की सूचना अपलोड करावें।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9/5/17 के निर्णय एवं एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/17 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 2/6/17 के निर्णय के अध्यक्षीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस0एल0पी0 संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर नवीनतम परिणामों के उपरांत माननीय सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 24/6/19 में लिये गये निर्णय पर कार्यवाही करते हुए आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 विषय (छात्र संस्थाएँ) के घोषित किये गये नवीनतम परिणाम के क्रम में नियमानुसार जारी आरक्षित सूची के आधार पर लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार पदस्थापन किया जाता है। इन्हे विभाग द्वारा सत्यापन पश्चात संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाये। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।


  
(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-8/नियुक्ति/पीएससी-15/2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 24/12/19

- 01 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
- 02 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
- 03 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 04 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
- 05 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
- 06 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
- 07 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,  
बीकानेर